प्रेस विज्ञप्ति
10-09-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत एवं अन्य के मामले में गोवा और हैदराबाद में 13 आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में 09.09.2025 और 10.09.2025 को तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गोवा में सामुदायिक(कम्युनिडाड) भूमि पर अवैध कब्ज़ा करने के संबंध में की गई।

ईडी ने अंजुना कम्युनिडाड की भूमि के अवैध अधिग्रहण के संबंध में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत गोवा पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच और तलाशी अभियान से पता चला है कि आरोपियों ने गोवा के अंजुना और असगांव जैसे प्रमुख इलाकों में स्थित 3,50,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन का अवैध रूप से अपने नाम पर म्यूटेशन कराया था। ये पुराने और जाली दस्तावेज़ संबंधित अधिकारियों को म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जमा किए गए थे। इसके अलावा, इन संपत्तियों का एक हिस्सा विभिन्न व्यक्तियों को बेच दिया गया, जिससे करोड़ों रुपये की अतिरिक्त अपराध की आय (पीओसी) अर्जित हुई। आरोपियों द्वारा अवैध रूप से हड़पी गई ज़मीनों का कुल बाजार मूल्य 1,200 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।

तलाशी अभियान के दौरान, लगभग 72 लाख रुपये की नकदी और सात महंगी गाड़ियाँ जैसे पोर्श केमैन, बीएमडब्ल्यू 650 लीटर, रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू एम5, ऑडी ए-6 आदि ज़ब्त की गईं। इन लेन-देन में शामिल व्यक्तियों के कई बैंक खाते/सावधि जमा भी फ्रीज़ कर दिए गए। अभियान के दौरान भूमि लेन-देन से जुड़े कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ भी बरामद और ज़ब्त किए गए।

चल रही जाँच से गोवा में अवैध रूप से ज़मीन हड़पने में शामिल लोगों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफ़ाश होने की संभावना है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।

ईडी द्वारा ज़ब्त/फ्रीज़ की गईं सात लग्ज़री कारें

ईडी द्वारा जब्त नकदी